संख्या- 137/2016/253/22-2-2016-17(108)/2008

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2016***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओंमकार पुत्र श्री वासी जाटव, निवासी जनपद-गाजियाबाद वर्तमान-हापुड की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2563/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/22-12-2015 दिनांक 25-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी ओंमकार पुत्र श्री वासी जाटव, निवासी सदरपुर, थाना-बहादुरगढ, जनपद-गाजियाबाद वर्तमान हापुड का रहने वाला है। बन्दी द्वारा मेड व चकरोड तोडने के विवाद को लेकर दिनांक 08/09.07.1997 को बन्दी ने अपने 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार, फरसा व कुल्हाडी से 04 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-914/1997 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 15-07-2000 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.01.2002 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। बन्दी के 05 सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहे है, 01 सहअभियुक्त पैरोल अवधि से फरार तथा 02 सहअभियुक्त जमानत मुचलके पर कारागार से रिहा किये गये है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2015 तक 17 वर्ष 06 माह 21 दिन की अपरिहार एवं 21 वर्ष 11 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, द्वारा अपनी अख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने एक संगठित गिरोह के रूप में अपराध किया है, बन्दी द्वारा रिहा होने पर पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी ओमकार (बन्दी संख्या-16076) पुत्र श्री वासी जाटव, निवासी जनपद-गाजियाबाद वर्तमान हापुड की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-137/2016/253/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in